

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-216/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कुमारी शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को विभागीय आदेश संख्या-1032(2), दिनांक-15.05.2026 द्वारा दिनांक-01.05.2026 से 31.10.2026 तक कुल-184 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. डा० कुमारी शिखा को उक्त आदेश की सूचना दिनांक-15.05.2026 को मिलने के उपरान्त दिनांक-15.05.2026 (अपराहन) को प्रभार त्याग किया गया।

3. डा० शिखा के आवेदन सिविल सर्जन, मधेपुरा के ज्ञापांक-1059, दिनांक-06.06.2026 द्वारा अग्रसारित के आलोक में दिनांक-16.05.2026 से 31.10.2026 तक कुल-169 (एक सौ उनहत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। पूर्व निर्गत आदेश संख्या-1032(2) दिनांक-15.05.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-216/2025- 1643(2) पटना, दिनांक 19/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/डा० कुमारी शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. Mahanta 19/7/26
सरकार के उप सचिव
8